न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 1226/2017

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1. भेराराम पुत्र कनाराम 2. नेनीदेवी पत्नी भैराराम जाति माली निवासी धोलीवाड़ी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. नेमाराम पुत्र पुनाराम जाति माली निवासी रोकी का जांच, सोजतसिटी जिला पाली 2. सुखलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी मेन्दीया बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 3. हरदेव पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी मेन्दीया बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 4. मैना पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी मेन्दीया बेरा सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली। 5. अमरी देवी पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी तुतिया बेरा सेहवाज तहसील मारवाड़ जक्शंन 6. इन्द्रा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सोहनलाल जाति माली निवासी पतालीया जाव, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली। 7. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री उपेन्द्र सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री नवनीत गहलोत एवं किशन सोनी एवं जितेन्द्र सोनी अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 21.08.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत में खसरा नम्बर 658 रकबा 1.2900 हैक्टर किस्म मेहन्दी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम स्थित है। वर्तमान संयुक्त खातेदारो के पूर्वजो ने लगभग 80—90 वर्ष पूर्व भौतिक रूप से अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 655/1 व 658/1 को मौखिक रूप से आपसी सहमति से सामलाती रास्ता कायम कर रखा है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा लम्बे समय से आने जाने हेतु किया जा रहा है। जिसका प्रमाणीकरण राजस्व मुकदमा संख्या 114/2012 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सोजत के प्राथमिक डिक्री के बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आदेश की पालना में तत्कालीन तहसीलदार सोजत के द्वारा दिनांक 29.9.2019 को मौके पर तैयार किए गये खसरा नम्बर 655/1 व 658/1 के रास्ता प्रयोजनार्थ बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा से होता है, जिसको अप्रार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगणों द्वारा पूर्वजो के जीवनकाल में कायम किये गये उक्त रास्ते में आने जाने में प्रार्थीगण को कोई बाधा उत्पन्न नही की, लेकिन उनकी मृत्यु के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

पश्चात दोनो पक्षों में रास्ते को लेकर आए दिन लडाई झगड़ा व कहासुनी होती रहती है तथा पूर्वजो के जीवनकाल में आपसी सहमति से छोड़े गये रास्ते का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत बंद हो गई तथा संगठित गिरोह बना कर रास्ते के मुहाने पर मिटटी डलवा कर धोरा बना दिया तथा मेहन्दी की फसल बोकर मौके पर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में सुड़ करने, काटा हटाने, निराई, गुडाई व कटाई करने हेतु मजदूरों को ले जाने व लाने में व ट्रैक्टर टोली में फसल लाने व फसल की देख–भाल, सार–संभाल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 655/1 व 658/1 के रास्ते की भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में नही है। आज भी मौके पर पूर्वजो द्वारा कायम किया गया रास्ता आने जाने हेतु है। जो रास्ता पूर्वजो के समय चला आ रहा है, जिसको अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध करने को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रा0 पत्र के सलंग्न दस्तावेजात खसरा नम्बर 655/1 व 658/1 नजरी नक्शा परिशिष्ठ "क" सलंग्न है, जिसमें मार्क ए.बी.सी.डी. लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, जिसका उपयोग उपभोग सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में आने जाने के लिए करते आ रहे है व जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण के नजरी नक्शा में बताए गये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर आने जाने के लिए नही है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि (कृषिजोत) ख0न0 658 रकबा 1.3800 हैक्टर किस्म मेहन्दी में आने जाने आवागमन हेतु ख0न0 655/1 रकबा 0.0050 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 658/1 रकबा 0.0050 हैक्टर रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि पर से अवरोध हटाया जाकर मौके पर रास्ते को 15 फुट चौड़ा किया जाकर खुलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित कर तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री नवनीत गहलोत अधिवक्ता तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की ओर से श्री किशन सोनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हो। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 जबाब पेश नहीं करना चाहते है, बहस हेतु तैयार है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रा0 पत्र के सलंग्न रा0 वाद संख्या 114/2012 भेराराम वगैरह बनाम नेमाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में बाद विधिक न्यायिक, प्रक्रियाधीन सुनवाई होकर दिनांक 04.11.2016 को निर्णय एवं डिक्री व तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, सा0मि0 है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक/राजस्व/16/2640 दिनांक 16.10.2016 तथा निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 04.011.2016 अनुसार विभाजन/बंटवाड़ा किया गया, में ख0न0 655/1 रकबा 0.0850 हैक्टर तथा 658/1 रकबा 0.0050 हैक्टर की भूमि विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार रास्ता प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग/उपभोग की भूमि रखी गई है। किन्तु मौके पर रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, जिसे खुलवाने की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब पेश करने तथा बहस वकुलाय में स्पष्टतः कारण दर्शित करने/अवगत करने में विफल रहे है। तथापि बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया हैं। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता हैं, या किसी विध्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–" (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु नये मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। चूंकि रा0 वाद सं0 114/2012 भेराराम वगैरह बनाम नेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2016 तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के क्र0सं0 4 में वर्णित सार्वजनिक रास्ते प्रयोजनार्थ ख0न0 655/1 रकबा 0.08500 हैक्टर तथा ख0न0 658/1 रकबा 0.0050 हैक्टर किस्म मेहन्दी भूमि छोडी गई है, अर्थात् प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 658 रकबा 1.5800 हैक्टर किस्म मेहन्दी में आवागमन हेतु रखा गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 251(क) की परिधि में नही आता है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथापि प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.11.2016 तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29.09.2016 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 अर्थात् वकुलाय बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः चूंकि रा0 वाद सं0 114/2012 भेराराम वगैरह बनाम नेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2016 तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के क्र0सं0 4 में वर्णित सार्वजनिक रास्ते प्रयोजनार्थ ख0न0 655/1 रकबा 0.08500 हैक्टर तथा ख0न0 658/1 रकबा 0.0050 हैक्टर किस्म मेहन्दी भूमि छोड़ी गई है, अर्थात् प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 658 रकबा 1.5800 हैक्टर किस्म मेहन्दी में आवागमन हेतु रखे जाने से मौके पर तत्काल प्रभाव से रास्ता खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं। तथापि चूंकि रा0 वाद सं0 114/2012 भेराराम वगैरह बनाम नेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.11.2016 तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के क्र0सं0 4 में वर्णित सार्वजनिक रास्ते प्रयोजनार्थ ख0न0 655/1 रकबा 0.08500 हैक्टर तथा ख0न0 658/1 रकबा 0.0050 हैक्टर किस्म मेहन्दी भूमि छोड़ी गई है, अर्थात् प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 658 रकबा 1.5800 हैक्टर किस्म मेहन्दी में आवागमन हेतु रखे जाने से मौके पर तत्काल प्रभाव से रास्ता खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। तहरीर के साथ निर्णय एवं डिक्री पर्चा दिनांक 04.11.2016 एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner